

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

क्रमांक:—राजस्व/2019/

दिनांक:—

आदेश

तहसीलदार विराटनगर के प्रार्थना पत्र क्रमांक:—भूअ./2016/5811 दिनांक 30.12.2016 एवं संलग्न मौका निरीक्षण रिपोर्ट, एनेक्सर-1, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम बामणवास तहसील विराटनगर के खसरा नंबर 1867/0.59, 1868/0.06, 1869/0.07, 1870/23.51, 1920/0.27, 2060/0.50, 2070/0.06, 2071/0.03, 2044/0.24, 2312/0.05, 2311/0.10, 2391/0.05, 2405/0.07, 2405/3085/0.05, 2433/0.12, 2434/0.11, 1871/0.16, 1893/14.19, 1894/1.24, 1895/0.07, 1872/0.10, 2088/0.04, 2436/0.02, 2437/0.02, 2441/0.16, 1920/3126/31



82/0.14, 2385/0.01, 2390/0.02, 2040/0.23 है0 (मुताबिक एनेक्सर-1 व नजरी नक्शा ट्रेस) मौके पर चालू कच्चा रास्ता विद्यमान है जिसकी मौके अनुसार रिकॉर्ड में किस्म कच्चा रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार विराटनगर से प्राप्त हुआ है। तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के संलग्न रिपोर्ट के अवलोकन से मौके पर स्थाई रूप से चालू रास्ते का समाधान होने पर तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 राज0 भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 60H, 66 व 86 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक-प3(2) राज-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में ग्राम बामणवास तहसील विराटनगर स्थित आराजी खसरा नंबर 1868/0.06 में से 0.06, 1869/0.07 में से 0.07, 1920/0.27 में से 0.03, 2060/0.50 में से 0.14, 2070/0.06 में से 0.04, 2071/0.03 में से 0.01, 2433/0.12 में से 0.03, 2434/0.11 में से 0.02, 2405/0.07 में से 0.07, 2405/3085/0.05 में से 0.01, 2391/0.05 में से 0.02, 2044/0.24 में से 0.02, 2312/0.05 में से 0.02 है0 खातेदारी भूमि, एवं खसरा नंबर 1871/0.16 में से 0.18, 1872/0.10 में से 0.05, 2088/0.04 में से 0.04, 2436/0.02 में से 0.02, 2437/0.02 में से 0.02, 2441/0.16 में से 0.16, 2311/0.10 में से 0.03, 1894/1.24 में से 0.07, 1895/0.07 में से 0.03, 1920/3126/3182/0.14 में से 0.14, 2385/0.01 में से 0.01, 2390/0.02 में से 0.02, 2040/0.23 में से 0.12,

(श्री राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर



क्रमांक:—राजस्व / 2019 /

दिनांक:—

प्रतिलिपि:—

- 1.श्रीमान जिला कलक्टर(भू.अ.) महोदय जयपुर को सूचनार्थ ।
- 2.तहसीलदार विराटनगर को पालनार्थ ।
- 3.रक्षित पत्रावली

(श्री राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर